अन्तरमहाद्विपीय होटल समूल (भारत) पी.पी.टी. लिमिटेड व अन्य
बनाम
वाटरलाइन होटल पी.वी.टी. लिमिटेड

एन.वी.रमन्ना (मुख्य न्यायमूर्ति) सूर्यकांत व हिमा कोहली (न्यायमूर्तिगण)
मध्यस्थाता आवेदन सं0– 12/2019
जनवरी 25, 2022

निर्णय

1. यह याचिका एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) आर/डब्ल्यू 11;12 (ए) के तहत दायर की गई है।
2. इस आवेदन के निर्णय के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप ;इंडिया) प्रा. लिमिटेड ;याचिकाकर्ता नंबर 1) और पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड ;याचिकाकर्ता 2(ए) क्रमशः भारत और सिंगापुर में स्थित इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप पीएलसी (आईएचजी ग्रुप) की सहायक कंपनियां हैं। मूल कंपनी (आईएचजी ग्रुप) एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय होटल है जो डेनहम, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है।
3. प्रतिवादी एक भारतीय कंपनी है जो आतिथ्य क्षेत्र में लगी हुई है। प्रतिवादी हॉलिडे इन एंड सुइट्स बेंगलुरु, व्हाइटफील्ड नाम से एक होटल चलाने और संचालित करने के लिए सहमत हुई थी।
4. प्रतिवादी ने आईएचजी समूह द्वारा स्थापित ब्रांड मानकों के अनुसार मौजूदा बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ एक होटल प्रबंधन समझौता (एचएमए) किया। एचएमए ने 17.09.2015 से शुरुआती दस वर्षों के लिए पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया और इसके तहत आगे के नवीनीकरण भी प्रदान किए गए। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एचएमए के तहत, याचिकाकर्ताओं को ब्रांड मानकों के अनुसार होटल स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश करने की आवश्यकता थी। इन निवेशों को नियत समय में होटल द्वारा किए गए मुनाफे से धीरे–धीरे वसूल किया जाना था।

5. एचएमए ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए नवीनीकरण के लिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता संख्या–1 को प्रत्येक माह के अंत में शुल्क का भुगतान करने के लिए अनुबंधित रूप से बाध्य था। जिसे प्रोत्साहन प्रबंधन शुल्क के रूप में जाना जाता है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता नंबर 2 ब्रांड और चिह्नों के उपयोग के लिए प्रतिवादी से लाइसेंस शुल्क के साथ–साथ " सिस्टम फंड योगदान" "प्रौद्योगिकी सेवा शुल्क" और " तकनीकी सेवा शुल्क " के लिए सहमत राशि का हकदार था।
6. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने में विफल रहा, जिसके लिए वह 2016 की शुरुआत से एचएमए के तहत अनुबंधित था। 12.10.2018 तक, प्रतिवादी पर ब्याज को छोड़कर, याचिकाकर्ताओं पर 618,719 अमेरिकी डॉलर की राशि बकाया थी। देर से भुगतान जैसा कि एचएमए के खंड 21.3 के तहत प्रदान किया गया है।
7. किसी भी स्थिति में, प्रतिवादी ने 12.10.2018 को एचएमए को समाप्त करने के लिए एक ईमेल भेजा। उपरोक्त ईमेल में, प्रतिवादी ने कहा कि होटल को मिराया होटल्स के रूप में पुनः ब्रांडेड किया गया था, और 12.10.2018 को दोपहर के बाद होटल में प्रवेश करने वाले सभी मेहमानों को सूचित किया गया था कि होटल का प्रबंधन मिराया को सौंप दिया गया है। उसी दिन, याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त समाप्ति पत्र का जवाब देते हुए तर्क दिया कि एचएमए की एक तरफा समाप्ति वैध नहीं थी क्योंकि इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं था।

8. प्रतिवादी 12.10.2018 के ईमेल को वापस लेने में विफल रहा, और याचिकाकर्ताओं ने एपीआईएम संख्या 3/2018 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम राहत की मांग करते हुए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 का इस्तेमाल किया। उच्च न्यायालय ने 23.10.2018 को एक अंतरिम आदेश पारित कर प्रतिवादी को अगले आदेश तक कानूनी प्रक्रिया के बिना याचिकाकर्ताओं को परिसर से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रतिवादी आदेश का पालन करने में ईमानदार नहीं रहा है और उसने उपरोक्त आदेश को विफल करने के लिए कदम उठाए हैं।
9. चूंकि पक्षकारों के बीच समझौता वार्ता विफल रही, और प्रतिवादी लगातार एचएमए का उल्लंघन कर रहा था, याचिकाकर्ताओं के पास एचएमए के खंड 18.2 के तहत मध्यस्थता लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, जो इस प्रकार है:
" खंड 18.2 विवाद समाधान
(ए) इस समझौते से या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, विवाद या दावे और / या इसके प्रासंगिक किसी भी मामले और/या इसकी व्याख्या और / या उल्लंघन पर पहले मालिक और प्रबंधक द्वारा इस उद्देश्य से चर्चा की जाएगी। ऐसे विवाद, विवाद या दावे को निष्पक्ष, सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण तरीके से हल करना। यदि ऐसे प्रयास समाधान की मांग करने वाले एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को जारी किए गए नोटिस की प्राप्ति के दस (10) व्यावसायिक दिनों के भीतर समाधान लाने में विफल रहते हैं , तो ऐसे विवाद, विवाद या दावे अंततः सिंगापुर इंटरनेशनल के मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। मध्यस्थता केंद्र ("SIAC") फिलहाल लागू है, जिसके नियमों को इस खंड में संदर्भ द्वारा शामिल माना जाता है।
(बी) अधिकरण में एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। हालाँकि, ऐसी स्थिति में जब पक्षकार एकमात्र मध्यस्थ पर सहमत होने में असमर्थ हैं, अधिकरण में तीन मध्यस्थ शामिल होंगे, जिनमें से प्रत्येक को प्रबंधक और मालिक द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और तीसरे को दो नियुक्त मध्यस्थों के आपसी समझौते से नियुक्त किया जाएगा। यदि प्रबंधक और मालिक द्वारा नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ पर पारस्परिक रूप से सहमत होने में विफल रहते हैं, तो ऐसे तीसरे मध्यस्थ को बैंगलोर में एक सक्षम न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसमें पक्षकार इस सीमा तक एसआईएसी के नियमों की प्रयोज्यता को बाहर करने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत हैं (यानी, तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में) मध्यस्थता का स्थान एसआईएसी बेंगलुरु होगा और मध्यस्थता की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। किसी निर्णय पर पहुंचने में, मध्यस्थ, इस समझौते के नियमों और प्रावधानों से बंधे होंगे। मध्यस्थ का निर्णय और पंचाट अंतिम और बाध्यकारी होगा और भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किया जाएगा"
10. मध्यस्थता की सूचना में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत का दावा किया:
ए. एक घोषणा कि:
i. प्रतिवादी 7 अगस्त 2015 के प्रबंधन समझौते का उल्लंघन कर रहा है य और
ii. प्रतिवादी पर 12 अक्टूबर 2018 को अपने ईमेल द्वारा प्रबंधन समझौते को अवैध रूप से और गलत तरीके से समाप्त करने का आरोप लगाया है।
बी. प्रतिवादी को दावेदारों को भुगतान करने का निर्देश दें,
i. प्रबंधन समझौते के तहत दावेदारों पर 8 अक्टूबर 2018 तक 618,719 अमेरिकी डॉलर का बकाया था;
ii. प्रबंधन समझौते के खंड 21.3 के अनुसार, मध्यस्थता लागू करने वाले इस नोटिस के दाखिल होने तकय उपरोक्त बकाया राशि पर उस तारीख से ब्याज, जब तक राशि देय नहीं हो जाती,

iii. प्रबंधन समझौते की शेष अवधि के लिए प्रबंधन समझौते की गलत समाप्ति के कारण नुकसान, जिसका आकलन बाद में किया जाएगाय जिसकी प्रारंभिक अवधि 15 सितंबर 2015 से 10 साल है और संभावित 2 x 5 साल की नवीकरण अवधि है।

iv. नुकसान के लिए ऐसी अन्य भविष्य की रकम और जो प्रबंधन समझौते के तहत देय हो सकती है और

जैसा कि दावेदार अपने मामले के बयान में माननीय अधिकरण के समक्ष रख सकते हैं।

सी. एसआईएसी नियमों और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ए 1996 के नियम 32.9 के अनुसार, वादकालीन और उसे दी गई सभी राशियों पर भविष्य में ब्याज, ऐसी दर पर जिसे अधिकरण उचित समझे;

डी. प्रतिवादी से लागत का अधिनिर्णय और भुगतान होने तक दी गई लागत पर ब्याज ।

इ. कोई अन्य प्रार्थना जो माननीय अधिकरण न्याय के हित में उचित समझे।"

11. प्रतिवादी पर आरोप है कि उसने उपरोक्त मध्यस्थता नोटिस का उत्तर यह कहकर दिया कि दिनांक 21.01.2019 का उक्त नोटिस कोई नोटिस नहीं था, और परिणामस्वरूप उसे उत्तर की आवश्यकता नहीं है।
12. तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसीद्) को मध्यस्थता लागू करने के अपने आशय के बारे में बताया। उन्होंने एकमात्र मध्यस्थों के नाम सुझाने या प्रतिवादी किसी एक नाम पर सहमत नहीं होने पर तीन सदस्यीय अधिकरण नियुक्त करने की व्यवस्था लागू करने के लिए एसआईएसी से भी संपर्क किया। एसआईएसी ने उपयुक्त मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादी को दिनांक 15.02.2019 को एक नोटिस भेजा। दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी ने एसआईएसी द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि 21.01.2019 का मध्यस्थता का नोटिस दोषपूर्ण था और पोषनीय नहीं था। किसी भी मामले में, प्रतिवादी निम्नानुसार आरोप लगाता है:
"बिना किसी पूर्वाग्रह के, हम ।HG के दिनांक 08.02.2019 के नोटिस में नामित 3 मध्यस्थों में से किसी को भी एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। न ही हम किसी एकमात्र मध्यस्थ का नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं। इसके अलावा, एक ही कारण से 3 मध्यस्थों के अधिकरण द्वारा मध्यस्थता का प्रस्ताव करने या उससे सहमत होने का कोई सवाल ही नहीं है। कारणों को यहां ऊपर विस्तार से बताया गया है और कोई दोहराव नहीं है।

स्पष्ट रूप से एसआईएसी और उसके सहयोगी अधिवक्ता ने विधिक स्थिति, मामले के तथ्यों और आईएचजी और उसके अधिवक्ताओं के आचरण पर पूरी तरह से आंखें बंद कर ली हैं। यह उल्लेख करना उचित नहीं होगा कि, दी गई परिस्थितियों में एसआईएसी नियम 38, एसआईएसी नियमों के तहत दायित्व के बहिष्कार का हकदार नहीं होगा।
13. प्रतिवादी द्वारा उपयुक्त मध्यस्थ नियुक्त करने से इन्कार करने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है।

14. जब यह मामला 16.04.2019 को सूचीबद्ध किया गया, तो इस न्यायालय को नोटिस जारी करने में प्रसन्नता हुई। इसके बाद, प्रतिवादी ने उपस्थिति दर्ज की और 24.07.2019 को एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें बताया गया कि कथित एचएमए, जिसमें मध्यस्थता समझौता शामिल है, एक बिना मुहर वाला दस्तावेज था। यह नोट करता है कि इस न्यायालय ने गरवारे वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209 में पहले ही माना है कि जिस समझौते पर विधिवत मुहर नहीं लगी है उस पर तब तक विश्वास नहीं किया जा सकता है या उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक कि बिना मुहर वाला दस्तावेज जब्त कर लिया गया है, और लागू स्टांप शुल्क और जुर्माने का मूल्यांकन और भुगतान किया गया है।
15. 02.03.2020 को, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर, आवेदन दायर करने के लिए चार सप्ताह की अनुमति दी। उपरोक्त अनुमति के अनुरूप, याचिकाकर्ताओं ने 23.06.2020 को अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस

प्रकार लिखा है:
".....
3. उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने एचएमए पर लागू स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए आवश्यक कदम उठाया है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (6) के अनुसार, एचएमए की स्टाम्पिंग कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम ए 1957 ("कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम") द्वारा शासित होगी क्योंकि एचएमए पहली बार बेंगलुरु में निष्पादित किया गया था, जहां कार्यपालन का स्थान बेंगलुरु है और एचएमए की विषयवस्तु बेंगलुरु में स्थित है।
4. कर्नाटक स्टांप अधिनियम की अनुसूची में विभिन्न प्रकार के उपकरणों की गणना की गई है, जिन पर स्टांप शुल्क और देय संबंधित शुल्क लगता है। अनुसूची का अनुच्छेद 5 विभिन्न प्रकार के समझौतों पर लागू शुल्क प्रदान करता है, एचएमए एक सेवा समझौता है जो विशेष रूप से अनुच्छेद 5 में प्रदान नहीं किया गया है, और इसलिए, इसे अवशिष्ट प्रावधानों, अनुच्छेद 5 (जे) के तहत अच्छादित किया जाएगा। समझौता या "इसके अभिलेख या, समझौते का ज्ञापन यदि अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है"। संबंधित स्टांप शुल्क 200 रुपये है। इसकी प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए और भुगतान किए गए स्टांप शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में किसी भी तर्क को टालने के लिए, याचिकाकर्ता नंबर 1 ने अधिकतम जुर्माना अर्थात् शुल्क का दस गुना यानी 2 ए 000 रूपया कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम की धारा 34 के प्रावधान के साथ जमा किया है।
5. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि चूंकि उन्होंने कर्नाटक स्टांप अधिनियम के तहत निर्धारित अधिकतम दंड के साथ अपेक्षित स्टांप शुल्क का भुगतान किया है, इसलिए यह माननीय न्यायालय एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकता है जिसके पास पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों से निपटने का अधिकार क्षेत्र है।
16. प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त आवेदन पर आपत्ति जताते हुए निम्नानुसार कहा :
"4. मैं कहता हूं कि 02.03.2020 को उपरोक्त उद्धृत याचिका की सुनवाई के समय, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 28.02.2020 को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अद्वितीय दस्तावेज़ वाला एक ई-स्टांप पेपर संलग्न किया गया था। संदर्भ संख्या SUBINKAKABACSL0850557522508599R दिनांक 29.07.2020 रु. 2,200/- कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 की अनुसूची के अनुच्छेद 12 के तहत एचएमए को "बॉन्ड" के रूप में वर्गीकृत करता है और प्रतिफल मूल्य शून्य के रूप में ....।
5. इस माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 02.03.2020 द्वारा याचिकाकर्ताओं को उचित आवेदन के साथ दिनांक 29.07.2019 को उक्त एकल ई-स्टाम्प पेपर दाखिल करने का निर्देश दिया था।
6. मैं कहता हूं कि, याचिकाकर्ताओं ने एचएमए को " बॉन्ड" के रूप में वर्गीकृत करते हुए दिनांक 29.07.2019 को उक्त एकल ई-स्टाम्प पेपर दाखिल नहीं किया है। इसके बजाय, कथित तौर पर माननीय न्यायालय के दिनांक 02.03.2020 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने इस बार समझौते को अनुच्छेद 5 के तहत वर्गीकृत करते हुए 200/- प्रत्येक दिनांक 10.06.2020 के 11 ई स्टाम्प कागजों का एक पूरी तरह से अलग सेट दायर किया है । 5 (जे) कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957 की अनुसूची और एचएमए दिनांक 07.08.2015 को संलग्न करते हुए, उपरोक्त उद्धृत आवेदन के तहत 2020 के आईए डी. नंबर 60764 के अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है।
7. मैं कहता हूं कि यह सच नहीं है कि, माननीय न्यायालय के दिनांक 02.03.2020 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ताओं को 10.06.2020 के सभी 200 रुपये प्रति के हिसाब से 11 ईस्टाम्प कागज दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, जो कि उपरोक्त उद्धृत आवेदन के साथ 2020 के आईए डी. नंबर 60764 अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मांगने के लिए दायर किया गया है।
8. मैं प्रस्तुत करता हूं कि याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक स्टांप अधिनियम, 1957 के तहत उचित स्टांप शुल्क और दंड का भुगतान नहीं किया है और न ही याचिकाकर्ता द्वारा विधिक के अनुसार उचित स्टांप शुल्क और देय दंड के निर्णय की प्रक्रिया का पालन किया गया है। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक स्टाम्प अधिनियम, 1957 के तहत निर्णय लेने की शक्ति का अधिकार अपने पास कर लिया है।

9. मैं कहता हूं कि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत कोई पक्ष किसी दस्तावेज पर देय उचित स्टांप शुल्क और जुर्माने को स्वयं निर्णीत और स्वप्रमाणित कर सके जैसा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दो बार करने की मांग की गई है:

याचिकाकर्ताओं द्वारा 10 गुना अधिकतम जुर्माने के साथ स्व–निर्णीत 29.07.2019 10.06.2020 सिंगल ईस्टाम्प पेपर 11 ईस्टाम्प पेपर 2,200/– रु. 200/– प्रत्येक के लिए दस्तावेज़ का विवरण।

29.07.2019	10.06.2020
एकल ई–स्टाम्प पेपर मूल्य 2,200/	11 ई–स्टाम्प पेपर मूल्य 200/– प्रति
डाक का विवरण . कला 12 बॉन्ड	डाक का विवरण. कला 5 (i) समझौता
	(किसी भी अन्य मामले में)
सम्पति का विवरण	सम्पति
विवरण	समझौता
होटल प्रबंधन समझौता	
प्रतिफल मूल्य	प्रतिफल मूल्य
(रू) 0	(रू) 0
(शून्य)	(शून्य)

17. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

18. सबसे पहले, हमें यह बताने की आवश्यकता है कि पूर्वनियुक्ति चरण में मुद्दों पर निर्णय लेने का इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय के साथ–साथ उच्च न्यायालयों के समक्ष कई मामलों का विषय रहा है। मुद्दों की व्यापक जांच के लिए इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई प्रारंभिक व्याख्या को 1996 अधिनियम द्वारा परिकल्पित मध्यस्थता समर्थक रुख के खिलाफ माना गया था। मामले दर मामले, अदालतों ने पक्षकारों की स्वायत्तता के अनुरूप, मध्यस्थों के लिए प्रदान की गई जगह पर कब्जा करने में खुद को प्रतिबंधित कर लिया, जिसे इस अदालत ने विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, (2021) 2 एससीसी 1 में दोहराया है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि अदालतों ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत बहुत सीमित क्षेत्राधिकार मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व से संबंधित मुद्दों पर अदालतों को "प्रथम दृष्टया" दृष्टिकोण अपनाना होगा, जैसा कि उसमें बताया गया है। आमतौर पर, मध्यस्थता/ वैधता के मुद्दे मध्यस्थों द्वारा तय किए जाने वाले मामले हैं। एकमात्र संकीर्ण अपवाद यह था कि अदालतें 'अवान्छित विषयों को हटानेश् का निर्णय दे सकती थीं। अंततः न्यायालय ने माना कि न्यायालयों के लिए निगरानी शब्द 'जब संदेह हो , तो संदर्भ लें' है। इस न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला :

"225. उपरोक्त उदाहरणों के अध्ययन से, अधिनियम की धारा 8 या 11 के तहत विषय वस्तु की मध्यस्थता के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष प्रासंगिक हैं :

225.1 बोघारा पॉलीफैब "नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, के पहले के फैसले द्वारा निर्धारित श्रेणियों के अनुरूप लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267'', न्यायालय 2015 के संशोधन से पहले, पूर्व मध्यस्थता चरण में ' विषय – वस्तु मध्यस्थता' की जांच कर रहे थे।

225. 2 2015 के संशोधन के बाद, संदर्भ चरण में न्यायिक हस्तक्षेप को काफी हद तक कम कर दिया गया है।

225.3 यद्यपि अधिनियम की के तहत विषय वस्तु मध्यस्थता और सार्वजनिक नीति आपत्तियां अलग–अलग प्रदान की जाती हैं, यहां न्यायालयों ने इसे अधिनियम के तहत विनिमेय माना है। इसके अलावा, विषय

वस्तु की मध्यस्थता इनरेम अधिकारों के साथ जुड़ी हुई हैं ।
225.4 अधिकारों और विशेषाधिकारों के विशेष वर्ग हैं, जो संवैधानिक या विधायी साधन के आधार पर एक नागरिक के लाभ को सुनिश्चित करते हैं, जो किसी विषय की मध्यस्थता को प्रभावित कर सकते हैं।
हममें से एक (एन. वी.रमण, जे., जैसा कि उस समय मुख्य न्यायाधीशद्ध की राय इस प्रकार है :
"244 इससे पहले कि हम अलग हों, प्रश्न संख्या 1 के संबंध में जो निष्कर्ष निकले, वे हैं:
244.1 न्यायिक हस्तक्षेप के संबंध में अधिनियम की धारा 8 और 11 का दायरा समान है।
244.2 आमतौर पर, विषय वस्तु की मध्यस्थता का निर्णय अधिनियम की धारा 8 या 11 के स्तर पर नहीं किया जा सकता है, जब तक कि यह गतिरोध का स्पष्ट मामला न हो।
244.3 धारा 8 और 11 के तहत न्यायालय को किसी मामले को मध्यस्थता के लिए भेजना होगा या एक मध्यस्थ नियुक्त करना होगा, जैसा भी मामला हो, जब तक कि किसी पक्ष ने वैध मध्यस्थता समझौते की गैर–मौजूदगी का प्रथम दृष्टया (सारांश निष्कर्ष) मामला स्थापित नहीं किया हो, संक्षेप में एक मजबूत मामला प्रस्तुत करते हुए कि वह इस तरह के निष्कर्ष का हकदार है।
244.4 यदि मध्यस्थता समझौते की वैधता प्रथम दृष्टया आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो न्यायालय को मामले को संदर्भित करना चाहिए, यानी , 'जब संदेह हो, तो देखें'।
244.5 किसी मध्यस्थता समझौते की प्रथम दृष्टया वैधता की जांच करने के लिए न्यायालय के दायरे में केवल शामिल हैं:
244.5.1 क्या मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में था ?
244.5.2 क्या मध्यस्थता समझौते में पत्रों, दूरसंचार आदि का आदान–प्रदान शामिल था ?
244.5.3 क्या मध्यस्थता समझौते के लिए मुख्य संविदात्मक तत्व पूरे किए गए थे ?
244.5.4 दुर्लभ अवसरों पर, क्या विवाद का विषय मध्यस्थता योग्य है ? "
19. उपरोक्त के अनुसार, इस न्यायालय ने बहुमत की राय से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के माध्यम से बोलते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया:
"147.1 गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड में ख्गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन्स एंड इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209: (2019) 4 एससीसी (सिव) 324,] इस न्यायालय ने एक मध्यस्थता खंड के साथ एक अंतर्निहित अनुबंध में स्टांप शुल्क के सवाल की जांच की थी और संदर्भ में धारा 7 (2) के पहले और दूसरे संदर्भ के बीच एक अंतर निकाला था। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(2) का दूसरा भाग, यद्यपि मध्यस्थता समझौते के "अस्तित्व" और "वैधता" के संदर्भ में ऊपर की गई और उद्धृत की गई टिप्पणियाँ उचित और अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हम उसके कंडिका 29 को पुनः प्रस्तुत करके इसे दोहराएंगे । :
(एससीसी पी. 238)
"29. यह फैसला हुंडई इंजी.
मामला [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी. लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एससीसी 607: (2019) 2 एससीसी (सिव) 530, इस मायने में महत्वपूर्ण है कि जो विशेष रूप से विचाराधीन था वह एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है । चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को खारिज कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद " था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस फैसले में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया गया था अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व स्वीकार या स्वीकृत नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप–अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड कानून के मामले के रूप में 'अस्तित्व में' नहीं होगा जब तक कि उप–अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती, जैसा कि हमने ऊपर माना है। यह तर्क कि धारा 11 (6ए)" अस्तित्व " से संबंधित है, धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत, जो एक मध्यस्थता समझौते की 'वैधता' से निपटती है, इस न्यायालय की हुंडई में अभिव्यक्ति 'अस्तित्व' की समझ

से उत्तर दिया गया है। इंजी. मामला [यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम हुंडई इंजीनियरिंग। एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, (2018) 17 एससीसी 607: (2019) 2 एससीसी (सिव) 530], जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया है। अस्तित्व और वैधता आपस में जुड़े हुए हैं, और यदि मध्यस्थता समझौता अवैध है या अनिवार्य कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है तो इसका अस्तित्व नहीं है। अमान्य समझौता कोई समझौता नहीं है।श्

20. किसी भी मामले में, फिर से एनएन ग्लोबल मर्कैंटाइल प्राईवेट लिमिटेड बनाम इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड, (2021) 4 एससीसी 379 में, इस न्यायालय ने गरवारे वॉल रोप्स (सुप्रा) में आयोजित उपरोक्त प्रस्ताव पर संदेह किया, और उसकी राय थी कि पृथक्करण के सिद्धांत की उपयोगिता संबंधित स्टाम्प अधिनियम के तहत चिंता से अधिक है । नॉनस्टैम्पिंग या कम स्टैम्पिंग से संबंधित मध्यस्थता समझौते की वैधता को प्रभावित नहीं करेगी। हालाँकि, इस न्यायालय ने गरवारे वॉल रोप्स (सुप्रा) में अनुपात का हवाला देते हुए विद्या ड्रोलिया ; (सुप्रा) के आलोक में इस मुद्दे को संवैधानिक पीठ द्वारा आधिकारिक निपटान के लिए संदर्भित करना उचित समझा। एनएन ग्लोबल (सुप्रा) में की गई प्रासंगिक टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

"56. हमारा विचार है कि एसएमएस टी एस्टेट्स ख्एसएमएस टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम चांदमारी टी कंपनी (पी) लिमिटेड, (2011) 14 एससीसी 66, और गरवारे ख्गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाम तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209, कि वाणिज्यिक अनुबंध पर स्टांप शुल्क का भुगतान न करने से मध्यस्थता समझौता भी अमान्य हो जाएगा, और यह कानून में अस्तित्वहीन और अप्रवर्तनीय हो जाएगा, यह कानून में सही स्थिति नहीं है।

57. विद्या ड्रोलिया [विद्या ड्रोलिया बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, (2021) 2 एससीसी 1 में निर्णय के कंडिका 146 और 147 में निष्कर्ष के मद्देनजर एक समन्वय पीठ द्वारा, जिसने गरवारे [गरवेयर वॉल रोप्स, में निर्णय की पुष्टि की है लिमिटेड बनाम तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग। लिमिटेड, (2019) 9 एससीसी 209], उपरोक्त मुद्दे को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निपटाया जाना आवश्यक है।

58. हम इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा आधिकारिक रूप से निपटाए जाने वाले निम्नलिखित मुद्दे को संदर्भित करना उचित मानते हैं:

"क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 35 में निहित वैधानिक रोक अधिनियम की अनुसूची के साथ पढ़ी गई धारा 3 के तहत स्टाम्प शुल्क के लिए प्रभार्य उपकरणों पर लागू होती है, ऐसे उपकरण में निहित मध्यस्थता समझौते को भी प्रस्तुत करेगी, जो प्रभार्य नहीं है स्टाम्प शुल्क के भुगतान को, अस्तित्वहीन, अप्रवर्तनीय, या अमान्य होने के कारण, मूल अनुबंध/लिखत पर स्टाम्प शुल्क का लंबित भुगतान घ्

59. इसके आलोक में, रजिस्ट्री इस मामले को उचित आदेशों/निर्देशों के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रख सकती है।"

21. उपरोक्त के लिए तर्क उपर्युक्त निर्णय में इस प्रकार दिया गया था:

"24 कार्य आदेश में निहित मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से स्वतंत्र और अलग है। मध्यस्थता समझौता एक ऐसा समझौता है जो विवाद समाधान का तरीका प्रदान करता है। महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम की धारा 3 अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध विभिन्न अन्य समझौतों के विपरीत, स्टांप शुल्क के भुगतान के लिए मध्यस्थता समझौते का विषय नहीं है। यह स्पष्ट कारण है कि मध्यस्थता समझौता एक वाणिज्यिक समझौते से उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने का एक समझौता है।

पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, मध्यस्थता समझौता अंतर्निहित वाणिज्यिक अनुबंध से एक अलग और विशिष्ट समझौता है, जो मूल अनुबंध से स्वतंत्र रहेगा। मध्यस्थता समझौते को अमान्य, अप्रवर्तनीय या अस्तित्वहीन नहीं बनाया जाएगा, भले ही मूल अनुबंध साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, या स्टांप शुल्क का भुगतान न करने के कारण उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

22. यद्यपि हम इस बात से सहमत हैं कि न्यायशास्त्र को निपटाने के लिए एक बड़ी पीठ गठित करने की

आवश्यकता है, हम मध्यस्थता के मुद्दों से निपटने के दौरान समय की संवेदनशीलता के बारे में भी जानते हैं। ये सभी मामले अभी भी नियुक्ति.पूर्व चरण में हैं और हम इन्हें तब तक लटकाए नहीं छोड़ सकते जब तक कि बड़ी पीठ इस मुद्दे का निपटारा नहीं कर देती। उसी के मद्देनजर, इस न्यायालय को जब तक कि बड़ी पीठ धारा 11 (6) और 16 के बीच परस्पर क्रिया पर निर्णय नहीं ले लेती यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता जारी रहे, जब तक कि न्यायालय के समक्ष मामला स्पष्ट रूप से अवान्छित विषय वस्तु के अस्तित्व का संकेत न दे।

23. यह हमें एकमात्र मुद्दे पर लाता है, क्या प्रतिवादी द्वारा उठाया गया अपर्याप्त स्टांप का मुद्दा बेकार है और स्पष्ट रूप से एक अव्यवहारिक मध्यस्थता समझौते का संकेत है, या कुछ गहरे मुद्दे हैं जिन्हें बाद के चरण में हल किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने एचएमए के खंड 22(1) (बी) की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की मांग की है, ताकि प्रतिवादी ने यह सुनिश्चित करने के लिए वारंटी प्रस्तुत की है कि उक्त एचएमए वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य होगा। एचएमए का खंड 22.1 (बी) इस प्रकार हैः

"22.1 मालिक इस अनुबंध के निष्पादन पर और फिर से प्रारंभ तिथि पर प्रबंधक को प्रतिनिधित्व और आश्वासन देता है किर :.....

बी) इसने सभी आवश्यक सरकारी अनुमतियाँ, लाइसेंस और परमिट (जिसमें निर्माण, अधिभोग, शराब, बार, रेस्तरां, साइन और होटल आवास लाइसेंस शामिल हैं, लेकिन सीमित नहीं हैं) प्राप्त कर लिए हैं या (प्रबंधक की सहायता से, क्योंकि यह प्रदान करने में उचित रूप से सक्षम है) प्राप्त करेगा। प्रबंधक को ब्रांड मानकों के अनुसार होटल संचालित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम करें कि यह समझौता देश में पूरी तरह से वैध और लागू करने योग्य है।

24. खंड 22.1 को पढ़ने के बाद, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि समझौता भारत में कानूनी रूप से वैध होगा। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दायित्व लिया गया था, तो याचिकाकर्ता किस हद तक प्रतिवादी की वारंटी पर भरोसा कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से एक बहस का मुद्दा है। इसके अलावा, यह भी निर्णय का विषय है कि क्या प्रतिवादी वारंटी के मद्देनजर मध्यस्थता समझौते/मौलिक अनुबंध की वैधता का मुद्दा उठा सकता था। यह पहलू स्पष्ट रूप से बताता है कि उपरोक्त मुद्दा निष्क्रिय नहीं है। यह मुद्दा कि क्या प्रतिवादी को एचएमए की अप्रवर्तनीयता का तर्क उठाने से रोका गया है या यह मुद्दा कि क्या एचएमए अपर्याप्त या गलत तरीके से मुद्रित है, अंततः बाद के चरण में तय किया जा सकता है।

25. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने दोहराया है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के, उन्होंने आवश्यक स्टांप शुल्क का भुगतान किया है, जिसमें लगने वाला जुर्माना भी शामिल है और उसी के आलोक में एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है। इसके विपरीत, प्रतिवादी ने स्टांप शुल्क के भुगतान का खंडन करते हुए इसे चुनौती दी है और तर्क दिया है कि स्टांप शुल्क के भुगतान को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया है और कर्नाटक स्टांप की अनुसूची के तहत अनुच्छेद 5 (जे) के तहत स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है । अधिनियम, 1957, जो त्रुटिपूर्ण है। इसलिए, प्रतिवादी का तर्क है कि एचएमए पर उचित मुहर नहीं लगाई गई है।

26. विद्या ड्रोलिया (सुप्रा) को पढ़ने पर, मध्यस्थता खंड के 'अस्तित्व' और/या 'वैधता' के मुद्दे पर यहां ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्टांप शुल्क का भुगतान, पर्याप्त या अन्यथा, हो चुका है। यहाँ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या कर्नाटक स्टांप अधिनियम के संदर्भ में पर्याप्त स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है, इस न्यायालय को मूल समझौते की प्रकृति, मध्यस्थता समझौते की प्रकृति और क्या मध्यस्थता के लिए एक अलग स्टांप शुल्क देय होगा, की जांच करने की आवश्यकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं आवश्यक स्टांप शुल्क का निर्णय लेने का प्रयास किया है और 29.07.19 को एचएमए को "बॉन्ड'' बताते हुए 2,200 रुपये का स्टांप शुल्क का भुगतान किया है। 10.06.2020 को, याचिकाकर्ताओं ने रुपये के लिए 11 स्टैम्प खरीदे। 200/– प्रत्येक, एचएमए को अनुच्छेद 5 (जे) के तहत एक 'समझौता' के रूप में वर्णित करता है। इसलिए, स्टांप अधिनियम के तहत यह न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह देय स्टांप शुल्क का पता लगाने के लिए समझौते की प्रकृति की समीक्षा करे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया है, चाहे वह अपर्याप्त हो या उचित, यह एक ऐसा प्रश्न है

जिसका उत्तर शायद बाद के चरण में दिया जा सकता है क्योंकि यह अदालत धारा 11 (6) के तहत इस पहलू की समीक्षा नहीं कर सकती है या इस पर विचार नहीं कर सकती है । यदि यह पूरी तरह से मुहर न लगाने का सवाल था, तो इस अदालत को एनएन ग्लोबल (सुप्रा) में उठाई गई संबंधित विषय की जांच करने का अवसर मिल सकता था, हालांकि, यह मामला, ऐसा कोई परिदृश्य नहीं है।

27. इसलिए, हम मध्यस्थता समझौते के खंड 18.2 के संदर्भ में इस मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना उचित समझते हैं।

28. तदनुसार, हम मुद्दों पर निर्णय देने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति एवी चन्द्रशेखर को नियुक्त करते हैं। पक्षकारों को एसआईएसी नियमों के अनुसार आगे बढ़ने के लिए इस आदेश को एसआईएसी तक पहुंचाने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

29. उपरोक्त शर्तों में मध्यस्थता याचिका की अनुमति दी जाती है।

सीजेआई.....(एन.वी.रमन्ना)..... जे।
(सूर्य कांत)..... जे।
(हिमा कोहली) नई दिल्ली;
25 जनवरी 2022

ऋचा श्रीवास्तव